इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 नवम्बर 2018—अग्रहायण 2, शक 1940

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2018

क्र. ई-1-261-2018-5-एक.—(1) श्री अजय कटेसरिया, भाप्रसे (2012), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अशोकनगर पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई-5-632-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनुपम राजन, आयएएस., प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त महानिदेशक एप्को तथा आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व संग्रहालय, मध्यप्रदेश को दिनांक 19 से 24 नवम्बर 2018 तक, छः दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 एवं 25 नवम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम राजन को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त महानिदेशक एप्को तथा आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व संग्रहालय, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनुपम राजन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुपम राजन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-831-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती स्वाती मीणा नायक, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल को दिनांक 21 से 23 अक्टूबर 2018 तक India Trade Promotion Organization द्वारा फ्रांस में आयोजित Sial Food Fair में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 24 से 25 अक्टूबर 2018 तक, दो दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती स्वाती मीणा नायक को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती स्वाती मीणा नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्वाती मीणा नायक अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई.-5-1027-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती भावना बालिम्बे, आयएएस., अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन बोर्ड, भोपाल को दिनांक 5 से 8 नवम्बर 2018 तक WTM London and Amsterdom-2018 में आयोजित रोड शो में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 9 से 11 नवम्बर 2018 तक, तीन दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती भावना बालिम्बे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती भावना बालिम्बे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती भावना बालिम्बे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई.-5-1071-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री चन्द्रशेखर बालिम्बे, भाप्रसे, सचिव, भू-संपदा, विनियामक प्राधिकरण, भोपाल को दिनांक 2 से 9 नवम्बर 2018 तक, आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 नवम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रशेखर बालिम्बे भा.प्र.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, भू-संपदा, विनियामक प्राधिकरण, भोपाल के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री चन्द्रशेखर बालिम्बे भा.प्र.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रशेखर बालिम्बे भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2018

क्र. ई-1-296-2018-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री धनराजू एस (2009) संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश तथा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	कलेक्टर, जिला भिण्ड
2	श्री आशीष कुमार (2009) कलेक्टर, जिला भिण्ड.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल.

(2) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे (1994), वि.क.अ.-सह-आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2018

क्र. ई.-5-857-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी., भाप्रसे, संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल को दिनांक 23 से 24 जुलाई 2018 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-932-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बक्की कार्तिकेयन, आयएएस., अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल को दिनांक 13 से 16 नवम्बर 2018 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 नवम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री बक्की कार्तिकेयन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री बक्की कार्तिकेयन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बक्की कार्तिकेयन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2018

क्र. ई-1-276-2018-5-एक.—श्री स्वरोचिशा सोमवंशी, भाप्रसे (2012), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिवनी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई-1-298-2018-5-एक.—श्री तरूण राठी, भाप्रसे (2010), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा महाप्रबंधक (कार्मिक), मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-5-981-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ऋषव गुप्ता, भाप्रसे., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजगढ़ को दिनांक 17 से 22 दिसम्बर 2018 तक, छः दिन का अर्जित अवकश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 23 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री ऋषव गुप्ता, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजगढ़ पूर्व के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री ऋषव गुप्ता, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ऋषव गुप्ता, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-987-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती भव्या मित्तल, भाप्रसे., अपर कलेक्टर जिला राजगढ़ को दिनांक 17 से 22 दिसम्बर 2018 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 23 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती भव्या मित्तल, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़ पूर्व के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती भव्या मित्तल, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती भव्या मित्तल भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2018

क्र. ई-1-278-2018-5-एक .—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री मुकेश कुमार शुक्ला (2003), कलेक्टर जिला सतना.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल.
2	श्री राहुल जैन (2005) संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, भोपाल.	कलेक्टर, जिला सतना

(2) श्री गुलशन बामरा, भाप्रसे (1997), आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-5-560-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मोहम्मद सुलेमान, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, उद्योग नीति एवं प्रोत्साहन विभाग एवं प्रवासी भारतीय विभाग को दिनांक 4 से 8 नवम्बर 2018 तक लाजिस्टिक एवं ट्रांसपोर्ट ट्रेड फेयर जो कि लंदन एवं स्वीडन में आयोजित है, में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 9 से 12 नवम्बर 2018 तक, चार दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, उद्योग नीति एवं प्रोत्साहन विभाग एवं प्रवासी भारतीय विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-565-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती गौरी सिंह, भाप्रसे (1987), अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को Short term Tranining programme "Creating Collaborative Solution in Governence at JKF School Harvard University U.S.A. में दिनांक 20 से 26 अक्टूबर 2018 तक आयोजित है, में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 27 से 29 अक्टूबर 2018 तक, तीन दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती गौरी सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती गौरी सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती गौरी सिंह, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-5-1031-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला, भाप्रसे, संचालक, जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, भोपाल तथा पदेन उपसचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 26 नवम्बर से 10 जनवरी 2019 तक, छियालीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, भोपाल तथा पदेन उपसचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2018

क्र. ई-5-522-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनोज श्रीवास्तव, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग तथा संस्कृति एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा न्यासी सचिव, भारत भवन तथा आयुक्त-सह-संचालक, स्वराज संस्थान एवं अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल को दिनांक 12 से 16 नवम्बर 2018 तक, पांच दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 एवं 17, 18 नवम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग तथा संस्कृति एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा न्यासी सचिव, भारत भवन तथा आयुक्त-सह-संचालक, स्वराज संस्थान एवं अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री मनोज श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-765-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती केरेलिन खोंगवार देखमुख, भाप्रसे., (1996) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम एवं सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 3 से 9 नवम्बर 2018 तक, सात दिन का चाईल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 नवम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती केरेलिन खोंगवार देखमुख, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम एवं सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती केरेलिन खोंगवार देखमुख, भाप्रसे (1966) को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती केरेलिन खोंगवार देखमुख, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2018

क्र. ई-5-562-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जे. एन. कांसोटिया, भाप्रसे., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 31 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2018 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 4 नवम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री जे. एन. कांसोटिया की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अशोक कुमार भार्गव, भाप्रसे, आयुक्त, महिला एवं बाल विकास एवं पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जे. एन. कांसोटिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जे. एन. कांसोटिया द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक कुमार भार्गव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री जे. एन. कांसोटिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एन. कांसोटिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2018

क्र एफ. 3-05-2018-एक-4.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब.-एक दिनांक 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अन्तर्गत सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में विधान सभा आम चुनाव 2018 के सिलसिले में दिनांक 28 नवम्बर 2018 (बुधवार) को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा.

(2) क्रमांक एफ 3-05-2018-एक-4.—राज्य शासन, एतद्द्वारा यह भी घोषित करता है कि विधान सभा आम चुनाव 2018 के लिए मतदान के दिन दिनांक 28 नवम्बर 2018 (बुधवार) को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सामान्य अवकाश का भी दिन होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल नागर, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2018

क्र. एफ 1(ए)256-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अनिल कुमार, भापुसे, महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, मुख्यालय भोपाल को दिनांक 3 नवम्बर 2018 के एक दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2018

क्र. एफ 1(बी)60-17-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2016 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र क्र. 7048-03-2017/चयन, दिनांक 26 जुलाई 2017 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त नियुक्ति हेतु अनुशंसित मुख्य सूची के स. क्र. 29 पर चयनित अभ्यर्थी का उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधी दावा उनके नाम के सम्मुख कॉलम (6) में अंकित कारणों के आधार पर सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है:—

स. क्र.	मैरिट क्र./अनुक्रमांक	नाम	सीट	श्रेणी	नियुक्ति का दावा समाप्त करने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	29/226400	श्री किशोर बामनकर	UNR	OBC	पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल, विशेष शाखा के पत्र दिनांक 10-10-2018 के माध्यम से प्राप्त श्री किशोर बामनकर के चरित्र सत्यापन के संबंध में छानबीन समिति द्वारा श्री किशोर बामनकर के विरुद्ध नैतिक अधोपतन की धारा के अन्तर्गत थाना विजिलेंस लुधियाना, पंजाब में अपराध क्रमांक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					10/15 धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर चालान न्यायालय में पेश किये जाने और मामला माननीय ASJ, लुधियाना के न्यायालय में विचाराधीन होने की जानकारी उपलब्ध कराने के आधार पर एवं उप पुलिस अधीक्षक के पद की मुख्य चयन सूची की वैधता अवधि दिनांक 25-7-2018 को समाप्त हो जाने के कारण.

क्र. एफ 1(बी) 60-18-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा सीआरपीएफ एवं बीएसएफ के निम्नानुसार 02 उप सेनानी स्तर के एवं 03 सहायक सेनानी स्तर के अधिकारियों की सेवाएं मध्यप्रदेश में विशेष सशस्त्र बल एवं हॉक फोर्स में प्रथमत: 02 वर्ष के लिये प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों के अन्तर्गत सीआरपीएफ एवं बीएसएफ से प्रतिनियुक्ति पर ली जाकर इनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से इन्हें इनके नाम के सम्मुख पदस्थापना स्थल पर पदस्थ किया जाता है:—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम एवं पद (2)	प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना स्थल (3)
1	Shri Ajay Singh Parmar, DC, 208 CoBRA. CRPF	DC, 35 Bn, SAF, Mandla
2	Shri Brijendra Kumar Mishra, DC, 208 CoBRA. CRPF	DC, 36 Bn, SAF, Balaghat
3	Shri T. S. Thongkhosei Baite, AC, 227 Bn, CRPF	AC. Howk force
4	Shri Shubhash Kumar, AC, 131 Bn, CRPF	AC. Howk force
5	Shri Virendra Singh, AC, 52 Bn, BSF	AC. Howk force

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मुकाती, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2018

फा. क्र. 5503-2018-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री संजीव सुधाकर कालगांवकर, संचालक, राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर की सेवाएं रजिस्ट्री, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओ.एस.डी.) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्द्वारा, रजिस्ट्री, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को सौंपता है.

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2018

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब (एक)-5165-2018.—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन ने अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 24 फरवरी 2010 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 12 मार्च 2010 को प्रकाशित हुई थी, के द्वारा विशेष न्यायालयों को अधिसूचित किया है.

राज्य शासन, एतद्द्वारा यह घोषणा करता है कि अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचित विशेष न्यायालय में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पदस्थ उच्च न्यायिक सेवाओं के संवर्ग में के किसी न्यायाधीश को, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से नियुक्त किया गया समझा जाएगा.

F. No. 1-6-89-XXI-B(1) 5165-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government has notified

Special Court vide Notification No. F. 1-6-89-XXI-B (1), dated 24th Februay 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I dated 12th March 2010.

The State Government hereby, declares that any judge in the cader of Higher Judicial Services posted by the High Court of Madhya Pradesh in the notified Special Court under sub-section (1) of Section 36 of the said Act, shall be deemed to be appointed by the State Government in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the said Act, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Prdesh.

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2018

फा. क्र. 5463-2018-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की स्थापना पर रजिस्ट्रार (न्यायिक-1) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने हेतु न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री दीपक बंसल, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इटारसी, जिला होशंगाबाद की सेवाएं उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 29 अक्टूबर 2018

संशोधित

क्र. 10845-एस.सी.शाखा-2018.—भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली का पत्र क्रमांक ईसीआई/पीएन/88/2018, दिनांक 6 अक्टूबर 2018 द्वारा विधान सभा निर्वाचन 2018 की अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अनुसार दिनांक 2 नवम्बर 2018 से निर्वाचन कार्यक्रम नियत है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2/1999/1/4 भोपाल, दिनांक 30 मार्च, 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2018 हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1933/एस.सी./2017, रायसेन, दिनांक 16 फरवरी 2018 द्वारा घोषित किये गये स्थानीय अवकाश दिनांक 9-11-2018 भाई दूजा (दीपावली का तीसरा दिन) को निरस्त किया जाता है. उसके स्थान पर दिनांक 18 दिसम्बर 2018 दिन मंगलवार ''गुरु घासीदास जयंती'' को रायसेन जिले में स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है.

उक्त अवकाश जिले के कोषालय/उप कोषालयों के लिए लागू नहीं होगा.

षणमुख प्रिया मिश्रा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश

रीवा, दिनांक 31 अक्टूबर 2018

क्र. 824-व.लि.-02-2018.—कार्यालयीन आदेश 539/व.लि.2/2018, दिनांक 3 जनवरी 2018 द्वारा जारी आदेश में 8 नवम्बर, 2018 दिन गुरुवार दीपावली का दूसरा दिन को घोषित स्थानीय अवकाश आगामी विधान सभा निर्वाचन 2018 को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है.

प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

झाबुआ, दिनांक 1 नवम्बर 2018

संशोधित

क्र. 6790-व.लि.1-2018.—भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली का पत्र क्रमांक ईसीआई/पीएन/88/2018, दिनांक 6 अक्टूबर 2018 द्वारा विधान सभा निर्वाचन 2018 की अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अनुसार दिनांक 2 नवम्बर 2018 से निर्वाचन कार्यक्रम नियत है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2/1999/1-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2018 हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/9258-59/व.लि.1/2017, झाबुआ, दिनांक 29 दिसम्बर 2017 द्वारा घोषित किया गया स्थानीय अवकाश दिनांक 8 नवम्बर 2018

(दीपावली का दूसरा दिन पड़वा) को निरस्त किया जाता है. उसके स्थान पर दिनांक 31 दिसम्बर 2018 दिन सोमवार ''बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती'' को सम्पूर्ण जिला झाबुआ में स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है.

टीप :

(1) यह स्थानीय अवकाश कोषालय/उप कोषालय तथा बैंकों के लिए प्रभावशील नहीं रहेगा.

(2) जिन शैक्षणिक संस्थाओं की इन दिनांकों में परीक्षाएं नियत है. इन पर भी यह अवकाश प्रभावशील नहीं रहेगा. परीक्षायें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथावत रहेगी.

आशीष सक्सेना, कलेक्टर.

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, जबलपुर, मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2018

क्र. 9770-एस.डब्ल्यू.-2018.—मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 18 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, छवि भारद्वाज, जिला दण्डाधिकारी, जबलपुर, जबलपुर नगर में स्थित नवनिर्मित जिला न्यायालय भवन, जबलपुर को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (Silent Zone) घोषित करती हूं तथा आदेशित करती हूं कि कोई भी व्यक्ति, व्यक्तिगत उक्त क्षेत्र की 100 मीटर की परिधि के अन्दर प्रातः 10.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारण जिसमें वाद्य संगीत, ढोल, लाउड स्पीकर, साउण्ड बाक्स आदि शामिल हैं का उपयोग नहीं करेगा. यदि कोई व्यक्ति, व्यक्तिगण ऐसे करते पाया जाता है तो वह मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 15(1)(2) एवं 16 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा.

छवि भारद्वाज, जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

संशोधित

बुरहानपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2018

क्र. क-व.लि.-2018-5985.—भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पत्र क्रमांक ईसीआई/पीएन/88/2018 दिनांक 06 अगस्त 2018 द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2018 की अधिसूचना जारी की गई हैं, जिसके अनुसार आज दिनांक 2 नवम्बर 2018 से विधानसभा निर्वाचन के नियत कार्यक्रम प्रारंभ हो गये हैं.

अतः उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-3-2/201721/4, दिनांक 06 अगस्त 2018 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग- के अनुक्रमांक 04 के पैरा 05 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एम-3/23/1999/1/4/ दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2018 के लिये बुरहानपुर जिले की सीमा क्षेत्र हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/क/व.लि./2018/1048 बुरहानपुर दिनांक 7 फरवरी 2018 द्वारा दिनांक 8 नवम्बर 2018 गुरुवार (दीपावली का दूसरा दिन) के स्वीकृत स्थानीय अवकाश को निरस्त कर, मैं डॉ. सतेन्द्र सिंह कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, वर्ष 2018 के लिये बुरहानपुर जिले की सीमा क्षेत्र हेतु दिनांक 22 दिसम्बर 2018 वार शनिवार ''दत्तात्रय जयंती'' को स्थानीय अवकाश (LOCAL HOLIDAY) घोषित करता हूं.

उक्त अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होंगे.

सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्

तृतीय तल, प्लेटिनम प्लाजा, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2018

क्र. एफ-275-कालेज-3037-2018.—मध्यप्रदेश सह-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 का 2001) की धारा 4 उपधारा (4) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् की स्थापना तथा सदस्यों के नामनिर्देशन से सम्बन्धित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3907-1079-07-1-पचपन-चि. शि.-1, दिनांक 27 अक्टूबर, 2007 में जो ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' दिनांक 27 अक्टूबर, 2007 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में शीर्षक ''ख- नामनिर्दिष्ट सदस्य'' में,—

(1) अनुक्रमांक (छह) तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

''डॉ. जी. एस. पटेल, अधिष्ठाता, स्वशासी बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर''

(2) अनुक्रमांक (सात) तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"डॉ. उमेश शुक्ला, प्रधानाचार्य, पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, भोपाल"

(3) अनुक्रमांक (आठ) तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"डॉ. समीर गुप्ता, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, अस्थि रोग विभाग, स्वशासी गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर"

(4) अनुक्रमांक (नौ) तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"डॉ. के. के. कॉवरे, विभागाध्यक्ष एवं प्राध्यापक, मेडिसिन विभाग स्वशासी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल"

No. F-275-College-3037-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section (4) of the Madhya Pradesh Sah-Chiktsiy Parishad Adhiniyam, 2000 (No. 1 of 2001), the State Government hereby makes of following amendments in this department's notification No. 3907-1079-07-1-LV-ME-1, dated 27th October 2007, which was published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-Ordirnary)", dated 27th October 2007, in respect of establishment and nomination of the Members of the Madhya Pradesh Sah-Chikitsiy Parisad, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification in the heading "B-Nominated Members",—

(5) for serial No. (vi) and entries relating thereto, the following serial No. and entries relating thereto shall be substituted, namely;—

"(vi) Dr. G. S. Patel, Dean, Autonomous Bundelkhand Medical College, Sagar,";

(6) for serial No. (vii) and entries relating thereto, the following serial No. and entries relating thereto, shall be substituted, namely:—

"(vii) Dr. Umesh Shukla, Principal, Pt. Khusilal Sharma, Government Ayurved College, Bhopal, ";

7. for serial No. (viii) and entries relating thereto, the following serial No. and entries relating thereto, shall be substituted, namely:—

"(viii) Dr. Sameer Gupta, Professor and Head of Department (Orthopedics), Autonomous Gajraraja Medical College, Gwalior,";

8. for serial No. (ix) and entries relating thereto, the following serial No. and entries relating thereto, shall be substituted, namely:—

"(ix) Dr. K. K. Kavare, Professor and Head of Department (Medician), Autonomous Gandhi Medical College, Bhopal,";

(आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा के द्वारा अनुमोदित)
पूजा शुक्ला, रजिस्ट्रार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला आगर-मालवा (मध्यप्रदेश)

आगर-मालवा, दिनांक 4 नवम्बर 2018

क्र. सामान्य-एक-2018-1034.—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का प्रेस नोट ईसीआई/पीएन/66/2018, दिनांक 6 अक्टूबर 2018 द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2018 एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म. प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 20/2018/चार/सा.निर्देश/13352, दिनांक 8 अक्टूबर 2018 के अनुसार दिनांक 6 अक्टूबर 2018 से निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2-1999-1-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनु. क्रमांक 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2018 हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 07-सामान्य-एक-2018-01, आगर-मालवा, दिनांक 4 जनवरी 2018 द्वारा 8 नवम्बर 2018 (दीपावली का दूसरा दिन) को अवकाश घोषित किया गया था.

अतः, उक्त संबंध में विधान सभा निर्वाचन 2018 को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 8 नवम्बर 2018 (दीपावली का दूसरा दिन) स्थानीय अवकाश को निरस्त किया जाता है. इसके स्थान पर एक स्थानीय अवकाश का निर्धारण पृथक् से किया जावेगा.

अजय गुप्ता. कलेक्टर.